पथ निर्माण विभाग

7/5/19

दिनांक–7/5/19 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही ।

पथ प्रमंडल, सहरसा अन्तर्गत बल्थी–मुसहरनियाँ पथ के कि0मी0 3.75 से 6.585 पथांश में पथ संधारण कार्य सहित चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य वर्ष 2016–17 के समयवृद्धि पर निर्णय हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :

(i) श्री अमृत लाल मीणा, प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

(ii) श्री रत्नेश कुमार, संयुक्त सचिव–सह–आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।

(iii) श्री लक्ष्मी नारायण दास, अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

(iv) श्री राजकुमार लाल, मुख्य अभियंता, सीमांचल उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

2. मुख्य अभियंता, उत्तर उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक–774(अनु0) दिनांक–21.02.2019 द्वारा विषयांकित कार्य के समयवृद्धि स्वीकृति हेतु प्राप्त तकनीकी मूल्यांकन समिति की विहित प्रपत्र में अंकित सूचनाओं के आधार पर विवरणी निम्नवत् है :–

2.1	कार्य का नाम	:	बल्थी–मुसहरनियाँ पथ के कि0मी0 3.75 से 6.585 पथांश में पथ संधारण कार्य सहित चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य वर्ष 2016–17
2.2	एकरारनामा संख्या	:	01/CMBD/ 2017-18
2.3	एकरारनामा की राशि	:	₹7,06,24,870.00
2.4	संवेदक का नाम	:	M/s Jay Mata Di Construction, Saharsa.
2.5	एकरारनामा के अनुसार कार्यारम्भ की तिथि :–	:	14.06.2017
2.6	एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि :–	:	13.03.2018
2.7	वर्त्तमान में कार्य की स्थिति	:	कार्य पूर्ण।
2.8	प्रथम समयवृद्धि की तिथि	:	31.12.2018 (विभागीय पत्रांक–7513(E), दिनांक–29.10.2018
2.9	मांग की गई समयवृद्धि की तिथि	:	31.12.2018

3. **समयवृद्धि का कारण :–**

(i) **कोशी नदी के जल का कार्यस्थल पर जमाव के कारण विलंब** :– कार्यपालक अभियंता द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि कार्यस्थल पूर्वी कोशी तटबंध से सटे पूरब रहने के कारण कोशी नदी को सीपेज के कारण जुलाई माह से ही जलस्तर में बढ़ोत्तरी होने लगती है और जल–निकासी का स्त्रोत नहीं है। भारी बारिश एवं बाढ़ के कारण सड़क कार्यस्थल पर लगभग 1.50 फीट जल–जमाव 4–5 माह तक रहने के कारण भी कार्य में विलंब हुआ।

(ii) खनन अधिनियम के तहत कार्रवाई होने से विलंब :– कार्य स्थल का निरीक्षण अधीक्षण अभियंता, कार्यपालक अभियंता संबंधित सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता के साथ माह नवम्बर 2017 में किया गया। संवेदक को पथ में निर्मित RCC Box Culvert के ऊँचाई में अतिरिक्त मिट्टी देकर कार्य को आगे बढ़ाने का निर्देश दिया गया। परन्तु मिट्टी भराई कार्य कराने के दौरान अनुमंडल पदाधिकारी, सिमरी बख्तियारपुर एवं डी०एस०पी०, सिमरी बख्तियारपुर के द्वारा सड़क निर्माण में लगे हुए जे०सी०बी एवं ट्रैक्टर को जप्त कर 29.11.2017 को खनन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया गया। Additional Chief Magistrate II द्वारा आदेश के पश्चात दिनांक–12.01.2018 को वाहन मुक्त किया गया। जिसके कारण भी कार्य में विलंब हुआ।

(iii) खनन विभाग द्वारा बालू का पट्टा रद्द होने के कारण विलंब :–

(क) खनन एवं भूतत्व विभाग के पत्रांक–2286, दिनांक–23.08.2017 द्वारा सूचित किया गया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय/राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित न्यायादेश एवं राज्य के बालू बंदोवस्त धारियों को निर्गत स्वीकृति की शर्त्तों के आलोक में 01 जुलाई से 30 सितम्बर तक नदी तल से बालू का उत्खनन पूर्णतः प्रतिबंधित है।

(ख) बालू आपूर्त्ति के लिए खनन विभाग में संवेदक के द्वारा 31.12.2017 को Online आग्रह किया गया, परन्तु आदेश निर्गत नहीं किया गया। संवेदक के द्वारा 06.01.2018 को सूचना दिया गया था कि बाजार/स्त्रोत में लगभग विगत पाँच माह से बालू उपलब्ध नहीं है। उपरोक्त के कारण कार्य में विलंब हुआ।

(iv) मिट्टी भराई हेतु लाईसेंस निर्गत में विलंब :– सड़क में मिट्टी भराई के लिए खनन विभाग के ज्ञापांक–7655 दिनांक–22.12.2017 के अनुसार मिट्टी के लाईसेंस हेतु BG एवं DD किनके पक्ष में बनेगा की जानकारी के लिए Mining Secretary, Bihar के ई–मेल पर 29 जनवरी 2018 को निदेश माँगा गया ताकि लाईसेंस लेकर सड़क में मिट्टी भराई का कार्य निर्वाध रूप से हो सके। जो कि प्राप्त नहीं हो सका।

(v) असमाजिक तत्वों द्वारा कार्य में व्यवधान :– कार्य स्थल सुदूर में रहने के कारण असमाजिक तत्वों द्वारा कार्यरत कर्मियों को बराबर मारपीट, गाली–गलौज किया जाता था। उनके द्वारा हथियार से गोलिया भी चलाई गई थी, जिसकी सूचना संबंधित थाने को भी दी गई थी। भय के कारण कार्यस्थल पर कार्य पर विपरित प्रभाव पड़ा।

(vi) रेल रैक उपलब्ध नहीं रहने के कारण विलंब :– एकरारनामा में निर्माण सामग्रियों का रेल रैक प्वाइंट से आपूर्ति का प्रावधान था। संवेदक एवं उनके सप्लायर द्वारा रेक रैक हेतु Indent किया गया, परन्तु छः–छः माह तक रेलवे द्वारा रेल रैक उपलब्ध नहीं कराया गया। साक्ष्य के रूप में Indent की छायाप्रति संलग्न किया गया है।

संवेदक द्वारा यह प्रतिवेदित किया गया हे, कि विभागीय पत्रांक–7513(E) दिनांक–29.10.2018 द्वारा विषयांकित कार्य का समयवुद्धि Liquidated Damage के साथ दिनांक–31.12.2018 तक प्रदान की गई है। कार्यपालक अभियंता द्वारा प्रतिवेदित किया गया है, कि संवेदक द्वारा उपरोक्त कारणों के बाद भी विपरित परिस्थितियों में सड़क मार्ग से पत्थर की ढ़लाई कर एवं अन्य स्त्रोंतों से बालू उपलब्ध करा कर कार्य पूर्ण करा दिया गया। इसलिए कार्य के विलंब के लिए संवेदक दोषी प्रतीत नहीं हो रहे है। इसकी अनुशंसा अधीक्षण अभियंता द्वारा की गई थी।

अतः पूर्व मे Liquidated Damage के साथ दी गई समयवृद्धि की स्वीकृति में संशोधन हेतु अनुरोध किया गया है। साथ ही दिनांक–31.12.2018 तक Liquidated Damage रहित समयवृद्धि की स्वीकृति हेतु अनुशंसा किया गया है।

4. **तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति का अनुशंसा :–**

तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा पाया गया कि संवेदक द्वारा दिनांक–31.12.2018 तक कार्य पूर्ण करा दिया गया है। कार्यपालक अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता के अनुशंसा के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से विषयांकित कार्य में दिनाकं–31.12.2018 तक विभागीय पत्रांक–7513(E) दिनांक–29.10.2018 द्वारा स्वीकृत की गई Liquidated Damage सहित समयवृद्धि की स्वीकृति को संशोधित कर Liquidated Damage रहित समयवृद्धि की स्वीकृति प्रदान करने की अनुशंसा इस शर्त्त के साथ की जाती है कि विस्तारित अवधि में संवेदक को Price Escalation का लाभ एवं कोई अन्य वित्तीय दावा मान्य नहीं होगा, परन्तु यदि विस्तारित अवधि का Price Index एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि से कम हो तो Price Neutralization हेतु विस्तारित अवधि का Price Index लागू होगा।

5. **विभागीय निविदा समिति का निर्णय :–**

5.1 **मुख्य अभियंता, उत्तर उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक–774(अनु0) दिनांक–21.02.2019 द्वारा प्राप्त तकनीकी मूल्यांकन समिति की अनुशंसा के आलोक में पथ प्रमंडल, सहरसा अन्तर्गत बल्थी–मुसहरनियाँ पथ के कि0मी0 3.75 से 6.585 पथांश में पथ संधारण कार्य सहित चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य वर्ष 2016–17 (एकरारनामा संख्या–01/CMBD/2017-18) को सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से दिनांक–31.12.2018 तक विभागीय पत्रांक–7513(E) दिनांक–29.10.2018 द्वारा स्वीकृत की गई Liquidated Damage सहित समयवृद्धि को संशोधित कर Liquidated Damage रहित समयवृद्धि की स्वीकृति प्रदान करने की अनुशंसा इस शर्त्त के साथ की जाती है कि विस्तारित अवधि में संवेदक को Price Escalation का लाभ एवं कोई अन्य वित्तीय दावा मान्य नहीं होगा, परन्तु यदि विस्तारित अवधि का Price Index एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि से कम हो तो Price Neutralization हेतु विस्तारित अवधि का Price Index लागू होगा।**

5.2 विभागीय निविदा समिति की इस कार्यवाही को विभागीय वेबसाईट पर भी डाली जाय।

(राजकुमार लाल) मुख्य अभियंता, सीमाचंल उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।	(लक्ष्मी नारायण दास) अभियंता प्रमुख–सह अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।	(रत्नेश कुमार) संयुक्त सचिव–सह–आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।	(अमृत लाल मीणा) प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–प्र०–7/विविध (स०वृ०)–04–53/2019 3579(E) पटना, दिनांक 7/5/19

प्रतिलिपि :– मुख्य अभियंता, सीमांचल उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना/अधीक्षण अभियंता, पथ अंचल, सहरसा/कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।